फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :—उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

पेरा सं.   /202.......

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/3/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. ~~चुनाव कार्य में व्यस्त है।~~ का स्थानान्तरण हो गया पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/5/25 को पेश हो।
	16.4.25 2 हस्ताक्षर Identified. [signature]	पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय को पेश किया गया की उक्त आराजी को प्रतिवादी को रूपान्तरण करने बाबत जवाब दावे में उल्लेखित किया है तथा वादीगण ने खेत का खुदकाश्तकार का दावा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। इसलिए वादीगण अपने वाद को आगे चलाना नहीं चाहते है। अत: वाद को विड्रॉ करने की अनुमति प्रदान करावे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत वाद विड्रॉ किये जाने स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विड्रॉ प्रार्थना पत्र के आधार खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर